

# सूचना

गव्य विकास निदेशालय, राँची, झारखण्ड द्वारा प्रायोजित एवं बायफ द्वारा संचालित गव्य विकास परियोजना में कार्यरत ऐसे पूर्व केन्द्र प्रभारी जिन्होंने अभी तक केन्द्र संचालन के लिए दी गई मोटर साईकिलों को जमा नहीं किया है और अवैध रूप से अपने पास रखे हुए हैं अथवा उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनको एवं सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त मोटर साईकिलों के संचालन से यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार वह पूर्व केन्द्र प्रभारी स्वयं होगा और बायफ इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। जिलावार मोटर साईकिलों की सूची संस्था की वेबसाइट: [www.baif.org.in](http://www.baif.org.in) पर उपलब्ध है।